

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

203/2017

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-
वादी

2017/00926

बनाम

प्रतिवादी

मनोहरसिंह पुत्र उदयसिंह

जाति राजपूत निवासी सोईन्तरा

तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

- 1.तगसिंह पुत्र उदयसिंह
- 2.नरपतसिंह पुत्र उदयसिंह
जाति राजपूत निवासी सोईन्तरा
तहसील शेरगढ
- 3.रतनसिंह पुत्र रामसिंह
जाति राजपूत निवासी जोधपुर
- 4'.गोदुराम पुत्र सोनाराम जाति जाट
निवासी पतासर तहसील पचपदरा
वर्तमान तहसील पाटोदी
- 5.खुशालाराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी पतासर
तहसील पचपदरा वर्तमान
तहसील पाटोदी जिला बालोतरा
- 6.भारतीय स्टेट बैंक शाखा मण्डली
- 7.राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा वर्तमान
तहसीलदार पाटोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
- 2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 31.10.2018



संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा पतासर तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 281 क्षेत्रफल 254871 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 25.6.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार वाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उभय-पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।


लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पतासर तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 281 क्षेत्रफल 254871 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	संकेत
1	तगसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत सा. सोईन्तरा तह.शेरगढ जिला जोधपुर रहन SBI शाखा मंडली	पतासर	281	1.6187	बा.सो.	1.20	1
2	नरपतसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत सा. सोईन्तरा तह.शेरगढ जिला जोधपुर खातेदार। रहन SBI शाखा मंडली	पतासर	281	2.0234	बा.सो.	1.50	2
3	रतनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत सा. सोईन्तरा तह.शेरगढ जिला जोधपुर खातेदार।	पतासर	281	2.0234	बा.सो.	1.50	3
4	मनोहरसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत सा. सोईन्तरा तह.शेरगढ जिला जोधपुर खातेदार। रहन SBI शाखा मंडली	पतासर	281	2.8247	बा.सो.	2.09	4
5	खुशालाराम पुत्र सोनाराम हि. 1/2 जाति जाट सा. सोईन्तरा तह.शेरगढ जिला जोधपुर खातेदार। गोदुराम पुत्र सोनाराम हि. 1/2 जाति जाट सा. सोईन्तरा तह.शेरगढ जिला जोधपुर खातेदार।	पतासर	281	16.9969	बा.सो.	12.57	5



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा


तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।


(अशोक कुमार) 31/10/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर 31/10/2025
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

गूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

203/2017

जी.सी.एग.एस. नम्बर :-

2017/00926

वादी

बनाम

प्रतिवादी

मनोहरसिंह पुत्र उदयसिंह

जाति राजपूत निवासी सोईन्तरा

तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

1. तगरसिंह पुत्र उदयसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र उदयसिंह
जाति राजपूत निवासी सोईन्तरा
तहसील शेरगढ
3. रतनसिंह पुत्र रामसिंह
जाति राजपूत निवासी जोधपुर
4. गोदुराम पुत्र सोनाराम जाति जाट
निवासी पतासर तहसील पचपदरा
वर्तमान तहसील पाटोदी
5. खुशालाराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी पतासर
तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील
पाटोदी जिला जोधपुर
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा मण्डली
7. राजस्थान सरकार जरिए
तहसीलदार पचपदरा वर्तमान
तहसीलदार पाटोदी



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 203/2017


निर्णय दिनांक :-31.10.2025

वादी की ओर से श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 31.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 31.10.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पाटोदी को आदेश दिए जाते हैं, कि

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	-----	जोड़	-----




सहायक कलक्टर 31/10/2025
(एस.डी.ओ.)बालोतरा